रजिस्ट्री सं. डी एल--33001/2001 REGISTERED No. DL—33001/2001

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार अप्रैल 14, 2001 (चैत्र 24, 1923)
No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 14, 2001 (CHAITRA 24, 1923)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग IV
[PART IV]

गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं
[Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies.]

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/ PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER
Controller of Publication

नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड

नेशनल स्टाक एक्सचेंज के नियमों में मसौदा संशोधन, जो कि नीचे दिए गए हैं, भारत के राजपत्र में साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 23 के उपबन्धों के अनुसार समालोचना के लिए प्रकाशित किए हैं। कोई भी व्यक्ति प्रस्तावित संशोधन पर अपनी किसी भी टिप्पणी को, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिनों के अन्दर कम्पनी सचिव और वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, सेनापति बापत मार्ग, लोवर पारेल, मुंबई-400013 को लिखित में भेज सकता है। उपर्युक्त तारीख के पश्चात् प्राप्त टिप्पणियों पर विचार नहीं किया जाएगा तब मसौदे पर ही विचार होगा।

क (1) एक्सचेंज के नियमों के भाग-III के विद्यमान नियम (33) की पहली पंक्ति में 'चूककर्ता' और 'होंगे' शब्दों के बीच निम्नलिखित शब्दों को समाविष्ट करके संशोधन करने का प्रस्ताव है।

"अथवा जिसकी व्यावसायिक सदस्यता एक्सचेंज द्वारा अनिवार्यतः समाप्त कर दी गई है"

(2) एक्सचेंज के नियमों के भाग-III के नियम 4 के खण्ड (ज) के रूप में निम्नलिखित खंड को जोड़े जाने का प्रस्ताव है और इसके परिणामस्वरूप नियम 4 के विद्यमान खंड (ज), (झ) और (ञ) को क्रमशः (झ), (ञ), और

(ट) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा :

उद्धरण :

(ज) एक्सचेंज को अपनी व्यावसायिक सदस्यता सौंप दी हो अथवा उसकी व्यावसायिक सदस्यता अनिवार्यतः समाप्त कर दी गई हो या एक्सचेंज ने उसे चूककर्ता घोषित कर दिया हो और इस प्रकार सौंपी गई या अनिवार्यतः समाप्त की गई अथवा चूक की घोषणा की तारीख से एक वर्ष की अवधि व्यतीत न हुई हो।

अनुद्धरण :

(3) एक्सचेंज के नियमों के भाग-III का विद्यमान नियम (28) निम्नानुसार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है :

(i) निम्नलिखित नए खण्ड (क) द्वारा विद्यमान खंड (क) को प्रतिस्थापित करना :

उद्धरण :

(क) व्यावसायिक सदस्यता की सुपुर्दगी करके ;

अनुद्धरण :

उपर्युक्त प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप, नियमों, उप-नियमों अथवा विनियमों में, जहाँ कहीं भी ऐसा किया जाना आवश्यक होगा, आवश्यक परिणामी परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है,

(ii) विद्यमान खंड (च) के पश्चात निम्नलिखित नया खंड (छ) अन्तर्विष्ट करके ;

उद्धरण

(छ) व्यावसायिक सदस्यता का अनिवार्यतः समापन

अनुद्धरण

(4) एक्सचेंज के नियमों के भाग-III के विद्यमान नियम (32) की चौथी पंक्ति में विद्यमान "जो इसे पूरा करने में विफल होगा" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्दों "इन अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया माना जाएगा" को हटाकर और इसके स्थान पर निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित करके संशोधित करने का प्रस्ताव है ।

"छः महीने की अनवरत अवधि के लिए निर्धारित निवल-मूल्य और पूंजी यथेष्टता को बनाए रखने की आवश्यकता पर सुनवायी का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अनिवार्यतः समाप्त कर दिया जाए। निवल मूल्य और पूंजी यथेष्टता के अतिरिक्त अन्य किसी अपेक्षा को पूरा करने में विफल रहने वाले किसी भी व्यक्ति की व्यावसायिक सदस्यता की एक्सचेंज के नियमों के भाग-IV के अन्तर्गत निष्कासन द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा।"

(5) एक्सचेंज के नियमों के भाग-III के विद्यमान नियम (33), (34) और (35) को निम्नलिखित प्रक्रियानुसार संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है :

(6) शीर्षक में 'चूककर्ताओं का पुनःप्रवेश' शब्दों के पश्चात् "आदि" शब्द को अन्तर्विष्ट किए जाने का प्रस्ताव है।

(II) नियम 33

प्रथम वाक्य के अन्त में आने वाले शब्दों "उसे चूककर्ता घोषित किए जाने के तत्काल पश्चात्।" और दूसरे वाक्य के आरम्भ में आने वाले शब्दों "जिस सदस्य को चूककर्ता घोषित किया जाएगा वह सदस्य के रूप में अपने सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों को खो देगा" को हटाकर उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है :—

"स्वयंमेव ही यदि ऐसा व्यावसायिक सदस्य चूककर्ता घोषित हो जाता है, निकाल दिया जाता है अथवा उसकी व्यावसायिक सदस्यता अनिवार्यतः समाप्त कर दी जाती है या वापस की जाती है। वह व्यावसायिक सदस्य जिसे चूककर्ता घोषित किया जाए, निकाल दिया जाए या जिसकी व्यावसायिक सदस्यता को अनिवार्यतः समाप्त कर दिया जाए या वापस किए जाए, तो वह सदस्य व्यावसायिक सदस्य के रूप में अपने सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों को खो देगा।"

(iii) नियम 34

नीचे दिए गए अनुसार विद्यमान नियम 34 को निम्नलिखित नए नियम 34 द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है :—

उद्धरण

"तथापि संबंधित प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को एक व्यावसायिक सदस्य के रूप में पुनः शामिल कर सकता है जिसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित उपबन्धों और/या मानदण्डों के अधीन चूककर्ता घोषित किया गया हो अथवा जिसकी व्यावसायिक सदस्यता को अनिवार्यतः समाप्त कर दिया हो या जिसने अपनी व्यावसायिक सदस्यता त्याग दी हो।"

अनुद्धरण

(iv) नियम 35

(क) प्रथम पंक्ति में "केवल ऐसे चूककर्ता" शब्दों के पश्चात् "अथवा ऐसे व्यक्ति जिनकी व्यावसायिक सदस्यता को अनिवार्यतः समाप्त कर दिया गया है या जिसने अपनी व्यावसायिक सदस्यता त्याग दी हो और" शब्दों को अंतर्विष्ट किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) खंड (च) के रूप में निम्नलिखित वाक्य को अन्तर्विष्ट किए जाने का प्रस्ताव है :—

"संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन किया गया हो।"

6. (i) एक्सचेंज के नियमों के भाग-IV के नियम 5 के विद्यमान खंड (क) को निम्नानुसार संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है :—

उप-शीर्षक में "निकाले गए" और "चूककर्ता" शब्दों के बीच में आए "और" शब्द को (') अल्पविराम द्वारा प्रतिस्थापित करने और उप-शीर्षक के अन्त में "आदि" शब्द को अंतर्विष्ट करने का प्रस्ताव है।

(ii) एक्सचेंज के नियमों के भाग-IV के नियम 5 के विद्यमान खंड (क) के अंतिम पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित शब्दों को अंतर्विष्ट करने का प्रस्ताव है :

"अथवा जिसकी व्यावसायिक सदस्यता अनिवार्यत: समाप्त कर दी गई हो।"

(7) (i) एक्सचेंज के नियमों के भाग-IV के विद्यमान नियम 13 को नीचे दिए गए नय नियम 13 द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है :—

उद्धरण

निलम्बन या निष्कासन आदि से पूर्व स्पष्टीकरण।

(13) व्यावसायिक सदस्य को यह हक होगा कि उसे संबंधित प्राधिकारी के समक्ष बुलाया जाए और उसकी व्यावसायिक सदस्यता को अनिवार्यत: समाप्त किए जाने या उसे निलम्बित करने अथवा निष्कासित करने से पूर्व स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किया जाए लेकिन सभी मामलों में संबंधित प्राधिकारी के निष्कर्ष अंतिम और निर्णायक होंगे तथा ऐसे व्यावसायिक सदस्य के विरुद्ध बाध्य भी होंगे।

अनुद्धरण

(8) एक्सचेंज के नियमो के भाग-IV के विद्यमान नियम 20 को निम्नानुसार संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है :

(i) शीर्षक में "निष्कासन के परिणामों" शब्दों के पश्चात् "आदि" शब्द को अंतर्विष्ट किए जाने का प्रस्ताव है।

(ii) नियम 20 में प्रथम पंक्ति में "व्यावसायिक सदस्य का का निष्कासन" और "होगा" शब्दों के मध्य निम्नलिखित शब्दों को अंतर्विष्ट करने का प्रस्ताव है।

"अथवा उसकी व्यावसायिक सदस्यता की अनिवार्यत: समाप्ति अथवा उसकी व्यावसायिक सदस्यता का त्याग"

(iii) नियम 20(क) की प्रथम पंक्ति में "व्यावसायिक सदस्यता के अधिकारों को खो देना" और "व्यावसायिक सदस्य" शब्दों के बीच में विद्यमान "निष्कासित" शब्द को हटाकर उसके स्थान पर "ऐसे" शब्द को अन्तर्विष्ट किया जाएगा।

(iv) नियम 20 (ख) की प्रथम पंक्ति में विद्यमान "निष्कासन" और "होगा" शब्दों के बीच "अथवा व्यावसायिक सदस्यता का अनिवार्यत: समापन या त्याग" शब्दों को अंतर्विष्ट करने का प्रस्ताव है। नियम 20 (ख) की दूसरी पंक्ति में "निष्कासित" शब्द के स्थान पर "ऐसे" शब्द को अंतर्विष्ट करने का प्रस्ताव है।

(v) नियम 20(ग) की प्रथम पंक्ति में विद्यमान "निष्कासन" और "होगा" शब्दों के बीच "अथवा व्यावसायिक सदस्यता का अनिवार्यत: समापन या त्याग" शब्दों को अंतर्विष्ट करने का का प्रस्ताव है। नियम 20(ग) की दूसरी पंक्ति में "निष्कासित" शब्द के स्थान पर "ऐसे" शब्द को अंतर्विष्ट करने का प्रस्ताव है।

(vi) नियम 20(घ) की पहली पंक्ति में "संविदाओं की पूर्ति" और "व्यावसायिक सदस्य" शब्दों के बीच आने वाले शब्द "निष्कासित" को हटा कर उसके स्थान पर "ऐसे" शब्द को अंतर्विष्ट करने का प्रस्ताव है। नियम 20(घ) की दूसरी पंक्ति में आने वाले शब्द "उसके निष्कासन" और "और" शब्दों के बीच "अथवा अनिवार्यत: समापन या त्याग" शब्दों को अंतर्विष्ट करने का प्रस्ताव है।

ख. उपर्युक्त सुझाए गए संशोधनों से व्युत्पन्न परिणामी संशोधनों को एक्सचेंज के उप-नियमों, नियमों और विनियमों में समाविष्ट करने का प्रस्ताव है।

कृते नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड
जे० रविचन्द्रन
कम्पनी सचिव एवं वरिष्ट उपाध्यक्ष

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED

The draft amendments to the Rules of National Stock Exchange, as given hereunder, are published for criticism in accordance with the provisions of Section 23 of the General Clauses Act, 1897 in the Gazette of India. Any person having any observations on the proposed amendments can send the same in writing to the Company Secretary & Sr. Vice President, National Stock Exchange of India Limited at Trade World, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400 013 within fifteen days from the date of this publication in the Gazette. The observations received after the aforementioned date will not be considered when the draft will be taken for consideration.

A. (1) The existing Rule (33) of Chapter II of the Rules of the Exchange is proposed to be amended by inserting the following words between the words 'defaulter' and 'shall' appearing on the first line.

"or whose trading membership has been compulsorily terminated by the Exchange".

(2) The following clause is proposed to be inserted as clause (h) to Rule 4 of Chapter III of the Rules of the Exchange and as a result the existing clauses (h), (i) and (j) of Rule 4 shall be re-numbered as (i), (j) and (k) respectively :

QUOTE

(h) has surrendered his trading membership to the Exchange or his trading membership has been compulsorily terminated or is declared a defaulter by the exchange and a period of one year has not elapsed from the date of such surrender or compulsory termination or declaration of default,

UNQUOTE

(3) The existing Rule (28) of Chapter III of the Rules of the Exchange is proposed to be amended as under;

(i) by substituting existing clause (a) by the following new clause (a) :

QUOTE

(a) By surrender of trading membership;

UNQUOTE

As a result of the above substitution, necessary consequential changes are proposed to be carried out in the Rules, Byelaws or Regulation wherever it is necessary to do so.

(ii) by inserting following new clause (g) after the existing clase (f) :

QUOTE

(g) by compulsory termination of trading membership.

UNQUOTE

(4) The existing Rule (32) of Chapter III of the Rules of the Exchange is proposed to be amended by deleting the following words 'these requirements shall be liable to be terminated' after the words "who fails to meet" appearing on the fourth line and substituting with the following words in its place.

"with the requirement of maintenance of networth and capital adequacy prescribed for a continued period of six months may be compulsorily terminated after giving an opportunity of hearing. The trading membership of any person who fails to meet any other requirements other than networth and capital adequacy shall be liable to be terminated by expulsion under chapter IV of Rules of the Exchange".

(5) The existing Rules (33), (34) and (35) of Chapter III of the Rules of the Exchange are proposed to be amended in the following manner :

(i) The word "etc" is proposed to be inserted after the words 'Readmission of Defaulters' in the heading.

(ii) Rule 33.

The words "immediately he is declared a defaulter", appearing at the end first sentence and the words "The member who is declared a defaulter shall forfeit all his rights and privileges as a member" appearing at the beginning of the second sentence are proposed to be deleted and the following words are proposed to be substituted in its place :-

"ipso facto if such trading member is declared a defaulter, expelled or his trading membership is compulsorily terminated or surrendered. The trading member, who is declared a defaulter, expelled or whose trading membership is compulsorily terminated or is surrendered, shall forfeit all his rights and privileges as a trading member".

(iii) Rule 34.

The existing rule 34 is proposed to be substituted by the following new rule 34 as given hereunder :—

QUOTE

"The Relevant Authority may however readmit a person, who has been declared a defaulter or whose trading membership has been compulsorily terminated or who has surrendered his trading membership, as a trading member subject to the provisions and/or norms as may be prescribed by the Relevant Authority from time to time".

UNQUOTE

(iv) Rule 35.

(a) The following words are proposed to be inserted after the words "only such defaulter" on the first line "or such person whose trading membership has been compulsorily terminated or who has surrendered his trading membership and".

(b) The following sentence is proposed to be inserted as clause (f) :

"has complied with the norms as may be prescribed from time to time by the relevant authority".

(6) (i) The existing clause (e) of Rule 5 of Chapter IV of the Rules of the Exchange is proposed to be amended in the following manner :

The word "and" appearing in between the words expelled" and "defaulter" in the sub heading is proposed to be substituted by comma (,) and the word "etc." is proposed to be inserted at the end of the sub-heading.

(ii) The following words are proposed to be inserted at the end of last line in clause (e) of Rule 5 of Chapter IV :

"or whose trading membership has been compulsorily terminated.".

(7). (i) The existing Rule 13 of Chapter IV of the Rules of the Exchange is proposed to be substituted by the following new Rule 13 as given hereunder :

QUOTE

Explanation before suspension or expulsion, etc.

(3) A trading member shall be entitled to be summoned before relevant authority and afforded an opportunity for explanation before being suspended or expelled or his trading membership is being compulsorily terminated but in all cases the findings of the relevant authority shall be final, conclusive and binding as against such trading member.

UNQUOTE

(8) The existing Rule 20 of Chapter IV of the Rules of the Exchange is proposed to be amended in the following manner :

(i) The word "etc" is proposed to be inserted after the words "Consequences of Expulsion" in the heading.

(ii) The following words are proposed to be inserted in Rule 20 in between the words "expulsion of a trading member" and "shall have" on the first line.

"or compulsory termination of his trading membership or surrender of his trading membership".

(iii) The words "The expelled" appearing in between the words "Trading membership rights forfeited" and "trading member" on the first line of Rule 20 (a) are to be deleted and the word "such" is to be inserted in its place.